

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सीकर
दूरभाष व फ़ैक्स : 01572-249183
e-mail:- mesikar@dmg-raj.org

क्रमांक: खअ/सीकर/प्र/खप-22/66/

दिनांक: 13.4.2015

मैसर्स मोदी लेविगेटेड काओलीन प्रा० लि०

रेल्वे स्टेशन, नीमकाथाना

जिला सीकर

विषय :- एम.एम.डी.आर. अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए में किये गये संशोधन अनुसार खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के संबंध में ।

प्रसंग :- आपके पक्ष में धारित खनन पट्टा वास्ते खनिज चायना क्ले निकट ग्राम टटोरी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि हाल में एम.एम.डी.आर. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 की धारा 8 ए का समावेश किया गया है, जो कि खनन पट्टों की समयावधि से संबंधित है ।

आपके पक्ष में धारित प्रासंगिक खनन पट्टे की अवधि दिनांक 18.6.1988 तक वैध थी, उक्त अध्यादेश जारी होने की दिनांक को खनन पट्टे का प्रथम नवीनीकरण आवेदन पत्र संख्या एम.एल.-2/87 लम्बित था । एम.एम.डी.आर. संशोधन अध्यादेश 2015 की धारा 8ए(6) के अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 31.3.2020 तक स्वतः बढ़ गई है ।

अतः संबंधित खनन पट्टे की संविदा स्वतः ही उक्तानुसार संशोधित हुई मानी जाती है ।

भवदीय,



(पी.एस. मीना)

खनि अभियन्ता, सीकर

क्रमांक: खअ/सीकर/प्र/खप-22/66/

दिनांक: 14.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को निदेशालय आदेश संख्या: निखाभू/सीकर/सीसी-4/प-1(1)22/66 के क्रम में ।
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या 1053 दिनांक 15.4.2002 के क्रम में ।

//

(पी.एस. मीना)

खनि अभियन्ता, सीकर

For Shri Modi Levigated Kaolin Pvt. Ltd.



Director